सुखाड़ की क्षतिपूर्ति

''क''37. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी जिले सुखाड़ से प्रभावित हो गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में सूखा पीड़ितों के लिए केन्द्र से 6500 करोड़ रुपये की मांग की थी जबकि इस मद में मात्र 341 करोड़ रुपये ही मिले हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य में सुखाड़ से हुई क्षतिपूर्ति हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

आदेश निर्गत करना

50. डॉ० प्रमोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पूरे देश के लिये बाध्यकारी है;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए०आई०आर० 1998 एस०सी० 659 में आदेश पारित किया गया है कि पेंशनधारी पिता-माता चिकित्सा के लिये पुत्र पर निर्भर होगा और पुत्र यदि सरकारी सेवा में है तो सरकार से उसकी प्रतिपूर्ति पाने का उसको अधिकार है;

(3) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आजतक माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अधिसूचना निर्गत नहीं की गई है, जिसके कारण पेंशनभोगी पिता-माता की चिकित्सा की प्रतिपूर्ति से राज्यकर्मी वंचित हैं;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में आदेश निर्गत करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोक लगाना

51. श्री नितिन नवीन--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गुटखा और तम्बाकू उत्पादों के सेवन से मुंह, गले और पैन्क्रियाटिक कैंसर होता है तथा उक्त उत्पादों का अधिकतर सेवन युवा पीढ़ी करती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त उत्पादों पर प्राप्त टैक्स से अधिक राज्य का राजस्व इन बीमारियों के इलाज एवं रोकथाम पर खर्च होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गुटखा और तम्बाकू उत्पादों पर रोक लगाकर युवा पीढ़ी को कैंसर जैसे भयानक रोग से बचाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

52. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना को आयुष चिकित्सकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराई गई अनुशंसा से 2,999 रिक्ति के विरुद्ध मात्र 1454 चिकित्सकों की नियुक्ति अगस्त, 2010 में की गई है;

नोट--''क'' दिनांक 10 मार्च, 2011 को सदन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित ।

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पैनल का जीवनकाल 31 मार्च, 2011 तक ही निर्धारित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निर्धारित अवधि के अन्दर शेष रिक्त 1545 पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

53. श्री प्रमोद कुमार--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 4 मार्च, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''एन०एम०सी०एच० में 35 नर्सें फर्जी'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जाली डिग्री से मेडिकल कॉलेज, नालन्दा में 35, मुजफ्फरपुर में 15, दरभंगा में 6, भागलपुर में 4 और गया में 10 ''ए'' ग्रेड की नर्सों की बहाली संविदा पर की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि ''बी'' और ''सी'' ग्रेड के ऐसे फर्जी जाली डिग्री के नर्सों की संविदा पर बहाली पूर्वी चम्पारण जिला सहित पूरे राज्य पैमाने पर सभी जिला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पूरे राज्य पैमाने पर ए, बी, सी तीनों ग्रेड के नर्सों की बहाली पर जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार सरकार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 18 मार्च, 2011 (ई०) ।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 148--डी०टी०पी०--450